REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122020-223742 CG-DL-E-17122020-223742

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3986] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2020/अग्रहायण 24, 1942 No. 3986] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2020/AGRAHAYANA 24, 1942

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4540(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-

धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के स्तम्भ क्रमश: (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए समझा जाएगा।

तालिका		
क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
586	एनई 6	उत्तर प्रदेश राज्य में शहीद पथ (मौजूदा रारा-27 के किमी. 11.00) के निकट रारा-27 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बानी, कंठा, अमरसास को जोड़ने वाला और कानपुर के निकट रारा सं 27
		(मौजूदा रारा-27 के किमी. 71.300) के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला एक्सप्रेस मार्ग (निर्माणाधीन)।

**पाद टिप्पण:** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में अधिसूचना सं. का. आ. 4363(अ), दिनांकित 3 दिसंबर, 2020 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/15/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2020

**S.O. 4540(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

## TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
586	NE 6	The expressway (under construction) starting from its junction with NH-27 near Shaheed Path (km 11.000 of existing NH-27) connecting Bani, Kantha, Amarsas and terminating at its junction with NH No. 27 (km 71.300 of existing NH-27) near Kanpur in the State of Uttar Pradesh.

**Footnote :** The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4<sup>th</sup> April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 4363 (E), dated 3<sup>rd</sup> December 2020.

[F. No. NH-14012/15/2020-P&M]

**RAJESH GUPTA**, Director